सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 31/2017

1. महेन्द्रकुमार पुत्र बलवन्तराम जाति जाट निवासी गांव मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामधन जाति नाई साकिन गांव मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. ग्राम पंचायत मन्नीवाली पंचायत समिति सादुलशहर।

अप्रार्थी

उपस्थित : 1. श्री राजाराम बिश्नोई, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नही
3. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2

आदेश **दिनांकः–18.05.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''निगरानीकृत आदेश ग्राम मन्नीवाली प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.12.2004 जिसके द्वारा पत्रावली संख्या 48 से 80 तक के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश से अयाची मोहनलाल पुत्र श्री रामधन नाई ने दिनांक 17.12.2004 को रसीद नम्बर 148 द्वारा 200/– रूपये राशि जमा करवायी। यह राशि जमा होने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव की पालना में ग्राम पंचायत मन्नीवाली ने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.12.2004 को अयाची मोहनलाल के नाम पट्टा विधि विरूद्व , बिना नियमों की पालना किये रास्ता की जगह पर 15X20 फुट की दुकान का पट्टा आवंटित किया गया जो निरस्त करने योग्य है। विवादित स्थल जिसमें तथाकथित अवैध पट्टा जारी किया गया वह रास्ता आम की जगह है। रास्ता आम की भूमि आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इसलिए निगरानीकृत आदेश खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। नियम संख्या 142 से 168 की पूर्णतया अवहेलना की गयी है तथा पट्टा में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 से पट्टा जारी करने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 में अयाची की पत्रावली का कोई विवरण नहीं है। यह समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व होने के कारण निगरानी स्वीकार योग्य है। निगरानीकृत आदेश जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिये गये। सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गयी होने के कारण खारिज योग्य है। विवादित स्थल पर अभी तक कोई निर्माण हुआ नहीं है। प्रार्थी के रिहायशी मकान के आगे रास्ता में भूखण्ड अयाची को आवंटित किया गया है। यदि अयाची विवादित स्थल पर निर्माण करने में सफल हो गया तो प्रार्थी का आपने घर में प्रवेश करना बन्द हो जायेगा। प्रार्थी निगरानीकृत आदेश से सीधा प्रभावित होता है। पंचायती राज अधिनियम में निगरानी पेश करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है। प्रार्थी को आज दिनांक 10.07.2017 को रामकुमार पुत्र श्री प्रभातीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली ने ग्राम पंचायत मन्नीवाली के प्रस्ताव संख्या 2

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिनांक 05.12.2004 व 20.12.2004 की प्रतिलिपि दी। जिससे निगरानीकृत आदेश की जानकारी प्रार्थी को हुई। निगरानी बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम में पेश कर अर्ज है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली ने पत्रावली संख्या 79 मोहनलाल पुत्र श्री रामधन के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.12.2004 व इसकी पालना में जारी प्रस्ताव सख्या 2 दिनांक 20.12.2004 व इसकी पालना में जारी पट्टा जिसमें प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 लिखा गया है को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि '' निगरानीकृत आदेश ग्राम मन्नीवाली प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.12.2004 जिसके द्वारा पत्रावली संख्या 48 से 80 तक के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया। इस आदेश से अयाची मोहनलाल पुत्र श्री रामधन नाई ने दिनांक 17.12.2004 को रसीद नम्बर 148 द्वारा 200/– रूपये राशि जमा करवायी। यह राशि जमा होने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव की पालना में ग्राम पंचायत मन्नीवाली ने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.12.2004 को अयाची मोहनलाल के नाम पट्टा विधि विरूद्व , बिना नियमों की पालना किये रास्ता की जगह पर 15X20 फुट की दुकान का पट्टा आवंटित किया गया जो निरस्त करने योग्य है। विवादित स्थल जिसमें तथाकथित अवैध पट्टा जारी किया गया वह रास्ता आम की जगह है। रास्ता आम की भूमि आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इसलिए निगरानीकृत आदेश खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। नियम संख्या 142 से 168 की पूर्णतया अवहेलना की गयी है तथा पट्टा में प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 से. पट्टा जारी करने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 में अयाची की पत्रावली का कोई विवरण नहीं है। यह समस्त कार्यवाही विधि विरूद्व होने के कारण निगरानी स्वीकार योग्य है। निगरानीकृत आदेश जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिये गये। सारी कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गयी होने के कारण खारिज योग्य है। विवादित स्थल पर अभी तक कोई निर्माण हुआ नहीं है। प्रार्थी के रिहायशी मकान के आगे रास्ता में भूखण्ड अयाची को आवंटित किया गया है। यदि अयाची विवादित स्थल पर निर्माण करने में सफल हो गया तो प्रार्थी का आपने घर में प्रवेश करना बन्द हो जायेगा। प्रार्थी निगरानीकृत आदेश से सीधा प्रभावित होता है। पंचायती राज अधिनियम में निगरानी पेश करने की कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है। प्रार्थी को आज दिनांक 10.07.2017 को रामकुमार पुत्र श्री प्रभातीराम जाति यादव निवासी मन्नीवाली ने ग्राम पंचायत मन्नीवाली के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.12.2004 व 20.12.2004 की प्रतिलिपि दी। जिससे निगरानीकृत आदेश की जानकारी प्रार्थी को हुई। निगरानी बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम में पेश कर अर्ज है कि ग्राम पंचायत मन्नीवाली ने पत्रावली संख्या 79 मोहनलाल पुत्र श्री रामधन के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.12.2004 व इसकी पालना में जारी प्रस्ताव सख्या 2 दिनांक 20.12.2004 व इसकी पालना में जारी पट्टा जिसमें प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.12.2004 लिखा गया है को निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता सख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अनवानी निगरानी पूर्व में पेश की गई थी **जिसका प्रकरण संख्या 18/2015 निर्णय दिनांक 10.07.2017 को हो चुका है। जिसके निर्णय की प्रति दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पेश की गयी।** आवटन दिनांक 20.12.2004 का है। निगरानी दिनांक 11.12.2015 को पेश की है जो 11 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। निगरानी में मियाद के लिए धारा 97(3) में 90 दिन की अवधि निर्धारित की हुई है। अतः मियाद के बिन्दु पर निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानी के पैरा संख्या 6 में कथन किया है कि जानकारी दिनांक 10.07.2017 को हुई है, जबकि निगरानी का पूर्व में प्रकरण संख्या 18/2015 निर्णय दिनांक 10.07.2017 को हो चुका है एवं मोहनलाल गैर निगरानीकर्ता ने वर्ष 2007 में दावा पेश किया था। दुकान का निर्माण वर्ष 2007 में किया हुआ है। निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

हस्तगत निगरानी में निगरानीकर्ता ने पैरा सख्या 1 में स्पष्टतः लिखा है कि निगरानीकृत आदेश ग्राम मन्नीवाली प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.12.2004 जिसके द्वारा पत्रावली संख्या 48 से 80 तक के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रस्ताव की अनुपालना में निगरानीधीन पट्टा भी जारी हुआ है। यदि ग्राम पंचायत का उक्त प्रस्ताव विधि–विरूद्व या अनियमित है तो इसमें सभी 48 से 80 तक की पत्रावलीयों के आवेदकों को भी जारी पट्टे निगरानी में प्रभावित है। केवल एक पट्टे को चुनौती देकर ग्राम पंचायत के उस प्रस्ताव को विधि विरूद्व करार देकर निरस्त नहीं कराया जा सकता जबकि इन सभी प्रभावित पट्टे धारियों को पक्षकार रूप में संयोजित कर उनको पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जावे। ग्राम पंचायत के जिस प्रस्ताव को चुनौती देकर निरस्त करवाने की इस्तदुआ निगरानीकार चाह रहा है, उससे प्रभावित सभी व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है। पक्षकारों के असंयोजन के कारण भी निगरानी चलने योग्य नहीं है। प्रकरण संख्या 18/2015 अनवानी महेन्द्र कुमार बनाम मोहनल व अन्य निर्णय दिनांक 10.07.2017 से भी उक्त प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.12.2004, जिससे 37 व्यक्तियों को एक साथ अलॉटमेन्ट किया गया है जिन्हें निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया, को भी इसी आधार पर निगरानी दोषपूर्ण होने से खारिज की गई है। उक्त निगरानी मे भी प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः निगरानी दोषपूर्ण होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।